Statement

Funds allocated under IAY during 1995-96

(Rs. in Lakhs)

S. No.	State/U.T.	Allocation Central
1.	2.	3.
1.	Andhra Pradesh	7764.21
2.	Arunachal Pradesh	79.71
3.	Assam	2555.95
4.	Bihar	15229.21
5.	Goa	86.12
6.	Gujarat	2850.09
7.	Haryana	684.63
8.	Himachal Pradesh	556.07
9.	Karnataka	5213.33
10.	J & K	556.07
11.	Kerala	1896.68
12.	M.P.	9838.39
13.	Maharashtra	8464.06
14.	Manipur	102.16
15.	Meghalaya	119.54
16.	Mizoram	50.36
17.	Nagaland	128.13
18.	Orissa	6298.60
19.	Punjab	486.85
20.	Rajasthan	4087.49
21.	Sikkim	46.65
22.	T.N.	7018.73
23.	Tripura	132.69
24.	U.P.	18921.14
25.	W.B.	6957.87
26.	A & N Islands	47.17
27.	D & N Haveli	25.61
28.	Daman & Diu	15.08
29.	Lakshadweep	23.65
30.	Pondicherry	46.18
	TOTAL:	100000.00

नार्थ/साऊथ एवेन्यू स्थित गैराजों में अवैध व्यापा

1142. **श्री गोविन्द राम मिरीः** क्या **शहरी का और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नार्थ एवेन्यू और साऊथ एवेन्यू सरकारी गैराजों में और खुले भू-क्षेत्र पर अवै कारोबार/होटल और अन्य व्यावसायिक केन्द्र अभी च रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए केन्द्री सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर परिषद ने इस अवै केन्द्रों को कोई कानूनी समन जारी किया है;

(घ) क्या ऐसे अवैध कारोबार से सांसदों की सुर पर प्रश्न चिन्ह लग गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रि है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में शह विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री आर० वे धवन): (क) से (ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बताया है कि नॉर्थ तथा साऊथ एवेन्यू में खुले क्षेत्रों कोई अतिक्रमण नहीं है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग यह भी बताया है कि नॉर्थ/साऊथ एवेन्यू में 21 गै का इस्तेमाल होटल, टेण्ट हाऊस तथा दुकानों उ वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। घटनाओं की सूचना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्व समय-समय पर लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवाल को दी जाती है क्योंकि इन मकानों और गैराजों आबंटन सम्बन्धित सदन की समितियों द्वारा किया ज है। अवैध इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए लं सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों द्वारा की गई कार्र ज्ञात नहीं है।

Rehabilitation Package for PSUs

1143. SHRI B.K. HARIPRASA Will the MINISTER OF INDUSTRY pleased to state:

(a) whether it is a fact that many l making PSUs, which have been refer to BIFR, are still in a limbo due to de in disposal of the cases by BIFR;

(b) whether Government wo consider ploughing back the proce under the disinvestment schemes in pr making PSUs, to the revival of the l

making PSUs; and

(c) whether Government would consider introducing special incentives to NRIs/overseas investors willing to invest in loss-making PSUs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA) (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

District Rural Development Agencies

1144. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether State Government have been asked to restructure the district rural development agencies and make them function under the overall supervision, control and guidance of the Zila Parishads;

(b) If so, the details of such instructions;

(c) whether Government propose to monitor such instructions by calling progress reports every month from State Governments; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION) (SHRI VILAS BABURAO MUTTEMWAR): (a) Yes, Sir.

(b) States have been advised that DRDAs should function under the overall supervision, control and guidance of Zilla Parishads. Chairman of Zilla Parishad would be ex-officio Chairman of the Governing Body of DRDA and would preside over its Meetings. Chief Executive Officer of Zilla Parishad would be Member Secretary of the Governing Body of the DRDA. District Collectors/ DMs/Deputy Commissions are to be designated as Chief Executive Officer/ Executive Director of Zilla Parishad and will preside over the Meetings of the Executive Committee of the DRDA. Provision has also been made for inclusion of Ex.MPs/MLAs/Member of Minority Community in the Governing Body of the DRDA.

(c) and (d) States have been requested to restructure the DRDAs in consonance with the revised guidelines and report action taken in the matter. Their response is awaited.

शयनयानों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा यात्रा किया जाना

1145. **श्री नागमणि:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय रेलवे को शयनयानों में बिना शयनयान की टिकट वाले अनधिकृत व्यक्तियों को यात्रा न करने देने के संबंध में निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शयनयानों में यात्रा न करें; और

(ग) रेलवे के उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी, जो जान-बूझकर शयनयानों में अनधिकृत व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति देते है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) एक याचिका पर निर्णय देते समय, राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग ने आदेश दिया कि रेलों को गैर-गलियारेदार शयनयान के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे प्रत्येक सवारी डिब्बे में यात्रा के लिए वैध द्वितीय श्रेणी शयनयान टिकट धारकों के अलावा किसी यात्री को इन सवारी डिब्बों में न तो प्रवेश करने दिया जाए और न ही डिब्बों के अन्दर रहने दिया जाए, एक चल टिकट परीक्षक/परिचारक तैनात करना चाहिए;

(ख) इस विनिर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार, रेलों को शयनयान दर्जा सवारी डिब्बों में चल टिकट परीक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे, आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए 20 जोड़ी गाड़ियों में त्वरित कार्रवाई दल लगाए गए हैं, लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में गाड़ी अधीक्षकों की व्यवस्था